राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांकः– एफ3(25)जांच/पराधि/करौली/07/382 जयपुर,दिनांक 18-1-08

आदेश

श्री गिर्राज मीणा, सरपंच, ग्राम पंचायत रघुवंशी पंचायत समिति करौली, जिला करौली के विरूद्व प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री मीणा के विरूद्व पुलिस थाना कुडगांव में जुर्म आईपीसी की धारा 419, 420, 467,468 में दर्ज होने के कारण सरपंच गिरफ्तारी से बचने के लिये दिनांक 30.10.07 से फरार होने की वजह से मजदूरों को मस्टरोल संबंधी भुगतान नही होना, अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना तथा वारंट जारी होने के कारण सरपंच द्वारा पंचायत का कार्य नही किया जा रहा है जिससे सरपंच को निलम्बित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अतः राज्य सरकार प्रकरण में प्राप्त तथ्यों एवं जिला कलैक्टर से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन/विवेचन उपरान्त श्री गिर्राज मीणा, सरपंच, ग्राम पंचायत रघुवंशी, पंचायत समिति करौली, जिला करौली को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरपंच पद से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती है तथा आदेश प्रदान करती है कि निलम्बन काल में ये पंचायत के किसी कार्य एवं कार्यवाही में भाग नहीं लेगें ।

शासन सचिव एवं आयुक्त

<u>प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
2. सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर ।
3. जिला कलेक्टर, करौली ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, करौली ।
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति, करौली जिला करौली ।
6. श्री गिर्राज मीणा, सरपंच, ग्राम पंचायत रघुवंशी पंचायत समिति करौली, जिला करौली
7. आदेश पत्रावली।

अवर शासन सचिव (जांच)
17/1/08